

4/8/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
पैरोकाल सरकार वावतुड सुपमा अनुपस्थित  
पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर  
वर्ष 2018 से तहसीलदार, अरेल से मौका  
कमिश्नरी के ~~हस्ताक्षर~~ में ~~पत्रावली~~ प्राप्त  
जिसका अवलोकन किया गया। वकील  
वादी द्वारा निम्न अवधि में साक्ष्य पेश  
नहीं किया जाने से साक्ष्य वादी बन्द की  
जाती है। कदम सुनी गई। वाद वादी  
स्वीकार किया जाता है। इस आशय का  
आदेश अलग से संकेत कराया जावे।  
पत्रावली के साथ सुमार दोहरा नम्बर है कसदो। 

